

23-7-2025

2025/461

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़
रतनदास


बनाम

कमला आदि

मुकदमा क्रिस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 11/

वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
26.06.2025	<p>प्रार्थी रतनदास की तरफ से वकील श्री अनिल सिहाग ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न दस्तावेज के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि रोही मौजा घणियासर के खाता सं. 264 के ख.नं. 28 की 9.614 है., खाता सं. 63 के ख.नं. 28/2 की 2.150 है., 397/27 की 0.759 है., 40 की 3.922 है., 48 की 8.096 है. कुल 14.927 है. भूमि की अप्रार्थीगण रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 28.07.2025 को पेश हो।</p> <p>साहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p> <p>23-7-2025</p> <p>वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र सिहाग प्रेषी पेश करने पर प्रभावनी को प्रेषी में लिपा गया वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी का राजीनामा होने के आगे प्रार्थना पत्र कागो नहीं चलाना चाहते हैं। मौजूदा सिविल में प्रार्थीज कलाना चाहते हैं। अप्रार्थीज पत्र प्रार्थीज सिविल में प्रार्थीज किया जाता है। प्रभावनी न्याय से कम की जाकर रावतसर लक्ष्मीज जाणा दाखिल करवाते हो।</p>	<p>राजीनामा होने के आगे और कोई कार्यवाही नहीं चलाए है</p> <p>रतनदास</p> <p>23/7/2025</p> 

साहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर